जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-02.07.2025**

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलीनगर में युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.04.2025 को वादी श्री गोविद पुत्र महिपाल निवासी ग्राम अलीनगर थाना झिंझाना जनपद शामली के भाई नितिन पर अभियुक्तगण सुभाष,श्याम, जितेन्द्र व कुलदीप द्वारा जानलेवा हमला करने की घटना कारित की गयी थी। श्री गोविद की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को घटना के अनावरण व घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलीनगर में युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सुभाष पुत्र मदन निवासी अलीनगर थाना झिंझाना जनपद शामली
2. श्याम पुत्र ओमबीर निवासी अलीनगर थाना झिंझाना जनपद शामली
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र धीरध्वज निवास ग्राम अलीनगर थाना झिंझाना जनपद शामली

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 03.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू पुत्र पासेराम निवासी मौहल्ला रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली,

आपराधिक इतिहासः- अभि0 सोनू

मु0अ0सं0 303/25 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कांधला जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2001 में अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र नवाब सिंह निवासी छछरपुर थाना झिंझाना शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0-506/2001 धारा- 406 ,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधी व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2019 में अभियुक्त सचिन पुत्र धर्मपाल उर्फ राजकुमार निवासी देशराज कालोनी थाना पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1576/2019 धारा-379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधी व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक जनपद शामली द्वारा कांवड मार्ग का किया निरीक्षण, अधीनस्थो को दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-</u>

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.07.2025 को जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस आधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा आगामी कांवड यात्रा के दृष्टिगत कांवड मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनो अधिकारीयों द्वारा कांवड यात्रियो के लिये कांवड मार्ग पर सुविधाओं के सम्बन्ध में अधिनस्थो से जानकारी ली गयी तथा अधीनस्थो को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी शामली श्री विनय भदौरिया, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आमरदीप मौर्या, क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र कुमार यादव व सभी सम्बन्धित विभागो के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>